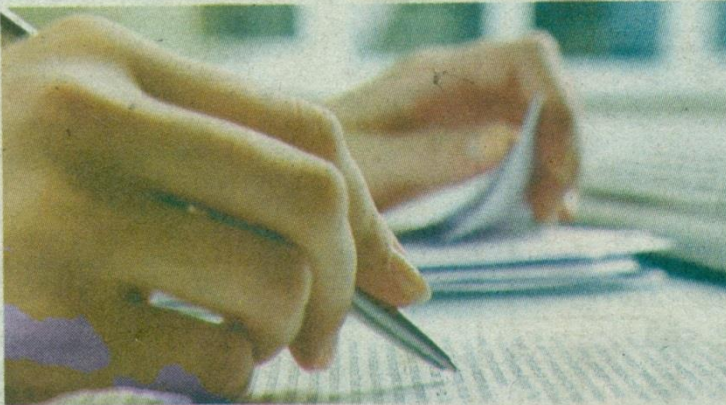


नई कवायद: यूजीसी ने तैयार किया कानून का मसौदा रिसर्च स्कॉलर अब नहीं कर सकेंगे पूर्व शोधों की नकल



नव एक्स्प्रेस

यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। रिसर्च के क्षेत्र में स्टूडेंट्स अच्छा काम करें, इसके लिए अब यूजीसी ने पीएचडी और उच्च शिक्षा में नकल रोकने के लिए एक कानून का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे पर 30 सितंबर तक लोगों से सुझाव मंगाए गए हैं। इसमें विद्यार्थियों को दंड का प्रावधान है। अगर इस मसौदे के अनुरूप कानून बनता है, तो शोध और उच्च शिक्षा के विद्यार्थी पूर्व शोधों की नकल नहीं कर पाएंगे।

समिति का गठन

यूजीसी ने इसके तहत एक समिति गठित की थी। इसके बाद समिति ने तमाम अध्ययन करने के बाद एक मसौदा तैयार किया। इस मसौदे में शोध में नकल रोकने के लिए एक व्यवस्था तैयार करने की बात कही गई है, जिसमें यह देखा जाएगा कि अगर किसी विद्यार्थी की थीसिस किसी पूर्व शोध किए विद्यार्थियों से मिलती है, तो उसकी जांच कर विद्यार्थियों को फिर से लिखने का निर्देश देगा। इसमें तीन स्तर बनाए गए हैं।

तीन स्तर विद्यार्थियों का आंकलन

पहले स्तर पर उन विद्यार्थियों को रखा जाएगा, जिनकी थीसिस पूर्व शोधों से 10 से 40 फीसदी मिलती है। इन्हें नकल किए गए भाग को निकालकर सुधार की हुई प्रति जमा करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। दूसरे स्तर में 40 से 60 फीसदी नकल करने वाले विद्यार्थियों को रखा जाएगा। इसमें विद्यार्थी को सुधारित प्रति जमा करने के लिए अधिकतम 18 महीने का समय दिया जाएगा। तीसरे स्तर में 60 फीसदी से अधिक नकल करने वाले विद्यार्थियों को रखा जाएगा। उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।